



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-492/NH-361/Water/2025-26/ 798

Date: 12.06.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four lanning of Wardha-Butibori (Package-IV) section of NH-361 from km.465.500 to km 524.690 (Design Length-59.190 Km) under NH (0) in the State of Maharashtra on Hybrid Annuity Mode -Permission for laying underground water pipeline on NH-361 form Ch. 517.060 near village Dhawalpeth to Ch. 523.000 Near "A" Junction of Butibori Industrial Area- Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Chandrapur letter no. 32 dated 30.05.2025 (CMU Yavatmal).
2. EE, MIDC, Div. No. -I Nagpur letter no. E-office /TB/EE-I(N)/I-108953/of 2025 dated 15.04.2025.

It is to inform all concern that EE, MIDC, Div. No. -I Nagpur under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU Chandrapur(CMU Yavatmal) has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that Rural Water Supply Division, Zilla Parishad, Wardha is laying subject stretch is as follows:

- laying of underground water supply pipeline from km 517.060 to km 523.000 for the Total length of 5.94 kms.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel: 0712-2520091, Email: ronagpur@nhai.org.

12/6/25

(निर्णय एम. शांडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र. टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-492/एनएच-361/जल/2025-26/ 798

दिनांक: 12.06.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच (0) के अंतर्गत एनएच-361 के वर्धा- बुटीबोरी (पैकेज-IV) खंड को किमी.465.500 से किमी.524.690 (डिजाइन लंबाई-59.190 किमी) तक हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर चार लेन का बनाना - एनएच-361 पर धवलपेठ गांव के पास चैनल 517.060 से बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र के "ए" जंक्शन के पास चैनल 523.000 तक भूमिगत जल पाइपलाइन बिछाने की अनुमति- संबंधित।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू चंद्रपुर पत्र क्र. 32 दिनांक 30.05.2025 (सीएमयू यवतमाल).
2. ईई, एमआईडीसी, डिवाइजन क्रमांक-1 नागपुर पत्र क्रमांक ई-ऑफिस /टीबी/ईई-1(एन)/1-108953/of 2025 दिनांक 15.04.2025.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ईई, एमआईडीसी, डि. क्रमांक-1 नागपुर ने संदर्भ (2) के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू चंद्रपुर (सीएमयू यवतमाल) ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग, जिला परिषद, वर्धा द्वारा प्रस्तावित संरक्षण इस प्रकार है:
 - 5.94 किलोमीटर लंबाई के लिए किमी 517.060 से किमी 523.000 तक भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", प्रथम तल ,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष: 0712-2520091, ईमेल: ronagpur@nhai.org

(निर्मल, एम. वाडे)
12/6/25

महाप्रबंधक (नकलीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब प्रशासन , एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]